प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठान

वार्षिक रिपोर्ट

2015–2016

विषय सूची

1.	अध्यक्षा का संदेश	2
2.	प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठान (आईडीएफ–ओआई) का परिचय	3
3.	न्यास के उद्देश्य	3
4.	न्यासी–बोर्ड	4
5.	अधिदेश	5
6.	न्यासी–बोर्ड की बैठकें	5
7.	हम किस प्रकार काम करते हैं	6
8.	आईडीएफ–ओआई द्वारा पेश की जा रही परियोजनाएं	7
	क. स्वच्छ भारत मिशन	
	ख. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन	
	ग.राज्यों में सामाजिक एवं विकास परियोजनाएं	
9.	आईडीएफ–ओआई के माध्यम से प्राप्त हाल के अंशदान	8
10.	आईडीएफ–ओआई द्वारा वित्त–पोषित परियोजनाएं	9
11.	डायस्पोरा के साथ संबंध कायम करना	9
12.	डायस्पोरा के साथ ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से संबंध कायम करना	10
13	वेबसाइट पुनर्अभिकल्पना एवं विकास	10
14.	प्रवासी भारतीय दिवस 2016 –पैनल विमर्श ।	11
15.	लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष 2015–16	12
16.	अनुबंध।	13
17.	संक्षिप्तियों की सूची	18

आईडीएफ–ओआई अध्यक्षा का संदेश

"मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अनेक प्रवासी भारतीय अब आईडीएफ–ओआई से जुड़ चुके हैं और उन्होंने अंशदान देना शुरू कर दिया है।"

प्रवासी भारतीयों को भारत में सामाजिक एवं विकासपरक योजनाओं में योगदान करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 2008 में प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठान (आईडीएफ–ओआई) की स्थापना की गई थी।

भारत के विकास और इसके सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय प्रतिभागी बनने की डायस्पोरा की पुनर्जागृत इच्छा को महत्व देते हुए इसके न्यासी बोर्ड द्वारा मई 2015 में आईडीएफ–ओआई के अधिदेश मे संशोधन किया गया ताकि भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों – स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे को बढ़ावा दिया जा सके।

अपने मूल स्थान के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करते हुए आईडीएफ–ओआई ने राज्य सरकारों के साथ भागीदारी की है ताकि उनके द्वारा अभिचिह्नित चुनींदा परियोजनाओं को प्रवासी भारतीयों द्वारा शिक्षा, स्वच्छता, हैल्थकेयर, महिला सशक्तिकरण, और दीर्घस्थायी आजीविका जैसे क्षेत्रों में योगदान करने के लिए चयनित किया जा सके।

आईडीएफ–ओआई ने भारत सरकार के विदेश अंशदान विनियमन अधिनियमन, 2010 के उपबंधों से छूट हासिल कर ली है जो इसे विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। चूंकि आईडीएफ–ओआई प्रवासी भारतीयों से प्राप्त होने वाले अंशदानों से किसी प्रकार के प्रशासनिक प्रभार को/की नहीं प्रभारित/कटौती करता है इसलिए, प्रवासी भारतीय से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि का परियोजना कार्यान्वयन के लिए उपयोग किया जाता है।

आईडीएफ–ओआई ने गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक सुदृढ़ तंत्र स्थापित किया है और अंशदाताओं को परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्टें नियमित रूप से भेज रहा है। जवाबदेही, पारदर्शिता, नियमित रिपोर्टिंग और फीडबैक तंत्र इसके कामकाज की महत्वपूर्ण पहलुएं हैं। प्रवासी भारतीयों से अंशदान नियमित एवं आवर्ती रूप से प्राप्त होते रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए आईडीएफ–ओआई वेबसाइट पर हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे को एकीकृत किया गया है।

आईडीएफ–ओआई ने अपने बोर्ड सदस्यों के सक्रिय समर्थन और यूएई में भारतीय मिशन के साथ निकट समन्वय से अक्तूबर 2015 में यूएई का दौरा किया ताकि प्रवासी भारतीयों को इसकी गतिविधियों से अवगत कराया जा सके। आईडीएफ–ओआई ने उन्हें अपने साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि अनेक प्रवासी भारतीय अब आईडीएफ–ओआई से जुड़ चुके हैं और उन्होंने अंशदान देना शुरू कर दिया है। वर्ष 2015–16 में आईडीएफ–ओआई को प्राप्त हुई अंशदान–राशि का सिक्किम, अमृतसर, विजयवाड़ा, और तिरुपति में स्वच्छ भारत मिशन परियोजनाओं के लिए; और नमामी गंगे कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

वार्षिक रिपोर्ट प्रवासी भारतीयों के साथ कारगर तरीके से जुड़ने और उन्हें भारत के सामाजिक एवं विकासपरक प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित करने के लिए पिछले एक वर्ष में आईडीएफ–ओआई द्वारा की गई प्रगति का लेखा–जोखा पेश करता है।

श्रीमती सुषमा स्वराज
माननीय विदेश मंत्री

एवं अध्यक्षा, आईडीएफ–ओआई

आईडीएफ–ओआई का परिचय

प्रवासी भारतीय परोपकारिता को भारत में सामाजिक एवं विकासपरक परियोजनाओं से जुड़ने की सुविधा प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में मंत्रिमंडल के अनुमोदन से एक अलाभकारी न्यास के रूप में प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिश्ठान (आईडीएफ–ओआई) की स्थापना की गई। इस न्यास को गृह मंत्रालय के विदेश अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के उपबंधों से छूट–प्राप्त है जो आईडीएफ–ओआई को विदेशों से अंशदान प्राप्त करने के योग्य बनाता है।

आईडीएफ–ओआई का प्रशासन श्रीमती सुषमा स्वराज, माननीय विदेश मंत्री की अध्यक्षता वाले न्यासी–बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस बोर्ड में भारत सरकार द्वारा नामित किए गए 13 अन्य सदस्यों से बना हुआ है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया हैः

1. ऐसे प्रसिद्ध प्रवासी भारतीयों में से चार न्यासी जो डायस्पोरा परोपकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
2. ऐसे प्रसिद्ध निवासी भारतीयों में से चार न्यासी जो भारत में परोपकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं
3. गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त एवं नीति आयोग से भारत सरकार के मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले चार न्यासी, अपनी पदेन हैसियत में।
4. आईडीएफ–ओआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सदस्य सचिव भी होते हैं।

आईडीएफ–ओआई भारत सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करता है जिसका न्यास के प्रचालनात्मक खर्चों (आईडीएफ–ओआई कार्मिक के वेतन सहित), इसके कार्यकलापो, और आउटरीच कार्यक्रमों में इस्तेमाल किया जाता है।

न्यास के उद्देश्य

- प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में परोपकारी कार्य किए जाने की अगुआई करना और परोपकारी भागिदारियों के लिए सहूलियत उपलब्ध कराना।
- प्रवासी भारतीयों को विष्वसनीय संस्थानों, परियोजनाओं और कार्यक्रमों की सूची उपलब्ध कराना।
- भारत में परोपकार से संबंधित सभी प्रकार की सूचना के लिए एक क्लीयरिंग हाउस के रूप में काम करना।
- भारत में राज्यों के साथ भागीदारी करना और विष्वसनीय भारतीय परोपकारी संगठनों को प्रोत्साहित करना।
- डायस्पोरा परोपकारिता में जवाबदेही एवं 'अच्छी परिपाटियों' को बढ़ावा देना।

न्यासी बोर्ड

अध्यक्षा
श्रीमती सुषमा स्वराज
माननीय विदेश मंत्री

पदेन सदस्य

श्री राजीव महर्षि
गृह सचिव

डा. एस. जयशंकर
विदेश सचिव

श्री अमिताभ कांत
सीईओ, नीति आयोग

श्री शक्तिकांत दास
सचिव, आर्थिक–कार्य विभाग

प्रसिद्ध प्रवासी भारतीय

श्री युसुफ अली एम.ए.
चेयरमैन, लुलु ग्रुप
इंटरनेशनल, यूएई

श्री सुभाष जिंदल,
सीएमडी प्रतीक जनरल
ट्रेडिंग, यूएई

डा. बी.के. अग्निहोत्री
पूर्व एम्बेसेडर–एट–लार्ज
यूएसए

श्री जोगिंदर पाल संगर
चेयरमैन, मास्टक्राफ्ट लिमिटेड
यूके

प्रसिद्ध निवासी भारतीय

श्रीमती रितु बेरी
प्रबंध निदेशक
रितु बेरी डिजाइन प्रा. लि.

डा. बिंदेश्वर पाठक
संस्थापक
सुलभ इंटरनेशनल

श्री अषोक चौगुले
चेयरमैन
चौगुले इंडस्ट्रीज प्रा. लि.

डा. के. आई. वाराप्रसाद रेड्डी
चेयरमैन
शांथा बायोटेक्नीक्स लि.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव

श्रीमती वाणी राव
संयुक्त सचिव (ओआईए ।।), विदेश मंत्रालय

अधिदेश

आईडीएफ–ओआई का मौजूदा अधिदेश प्रवासी भारतीयों द्वारा निधीयन के द्वारा निम्नलिखित परियोजनाओं को बढ़ावा देना है:

- भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम – राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन
- राज्य सरकारों द्वारा अभिचिह्नित सामाजिक एवं विकास परियोजनाएं

बोर्ड की बैठकें

पहली बोर्ड बैठक – 04 नवंबर, 2009, नई दिल्ली

दूसरी बोर्ड बैठक – 28 सितंबर, 2012, नई दिल्ली

तीसरी बोर्ड बैठक – 26 फरवरी, 2014, नई दिल्ली

चौथी बोर्ड बैठक, 23 मई 2015

आईडीएफ–ओआई के न्यासी बोर्ड की चौथी बैठक 23 मई, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता माननीया मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा की गई। इस बैठक में, बोर्ड ने भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों – स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे, तथा राज्य सरकारों द्वारा अभिचिह्नित सामाजिक एवं विकास परियोजनाओं को प्रवासी भारतीयों के बीच बढ़ावा देने संबंधी आईडीएफ–ओआई के अधिदेश का संशोधन किया।

आईडीएफ–ओआई की चौथी बोर्ड बैठक, 23 मई 2015

पांचवीं बोर्ड बैठक, 05 दिसंबर 2015

आईडीएफ–ओआई की पांचवीं बोर्ड बैठक, 05 दिसंबर 2015

आईडीएफ–ओआई के न्यासी बोर्ड की पांचवीं बैठक 05 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता माननीया मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा चेयरपर्सन की अपनी हैसियत से की गई। बोर्ड ने भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों – स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे; तथा राज्य सरकारों द्वारा अभिचिह्नित सामाजिक एवं विकास परियोजनाओं को प्रवासी भारतीयों के बीच बढ़ावा देने के लिए संशोधित अधिदेश पर आईडीएफ–ओआई द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की।

हम किस प्रकार काम करते हैं

आईडीएफ–ओआई प्रवासी भारतीय समुदाय के परोपकारी कार्यों एवं अंशदानों को भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों: नमामि गंगे और स्वच्छ भारत मिशन; तथा हैल्थकेयर, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, दीर्घस्थायी आजीविका, और स्वच्छता जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगा रहा है। राज्य सरकारों को आमंत्रित किया जाता है कि वे इन सेक्टरों से संबंधित परियोजनाएं आईडीएफ–ओआई को प्रस्तुत करें। परियोजनाओं का चयन सेक्टर, लक्षित लाभार्थियों, बजट परिव्यय, क्रियान्वयनकर्ता एजेंसी, परियोजना अवस्थिति आदि के आधार पर किया जाता है।

परियोजना के एक बार चयनित कर लिए जाने के बाद उन्हें आईडीएफ–ओआई की वेबसाइट https://idfoi.nic.in पर डाला जाता है; फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से; भारतीय मिशनों/कान्सुलेटों, और विदेश स्थित भारतीय एसोशिएसनों के माध्यम से दिखाया जाता है।

भारतीय द्वारा एक परियोजना का वित्त–पोषण किए जाने के बाद आईडीएफ–ओआई द्वारा राज्य सरकार/परियोजना कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी के साथ आईडीएफ–ओआई द्वारा एक करार पर हस्ताक्षर किए जाते हैं जिसके उपरांत निधियां परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को अंतरित की जाती हैं। आईडीएफ–ओआई प्रभावी अनुवीक्षण एवं रिपोर्टिंग प्रणालियों के जरिए डायस्पोरा परोपकारिता में जवाबदेही एवं पारदर्षिता को बढ़ावा देता है। यह इन परियोजनाओं को नियमित रूप से मॉनीटर करता है और परियोजना की प्रगति के बारे में दानकर्ताओं को समय पर रिपोर्ट दिया जाना सुनिष्चित करता है।

हमारी कार्य प्रक्रिया

1. राज्यों द्वारा आईडीएफ–ओआई को परियोजनाओं का प्रस्तुतीकरण
2. आईडीएफ–ओआई द्वारा परियोजनाओं का आकलन एवं चयन
3. आईडीएफ–ओआई परियोजनाओं के बारे में प्रवासी भारतीयों को सूचना देता है।
4. प्रवासी भारतीय द्वारा एक परियोजना का चयन
5. प्रवासी भारतीय द्वारा आईडीएफ–ओआई को किए गए भुगतान का परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी को अंतरण
6. नियमित अनुवीक्षण एवं कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी द्वारा अंशदाताओं को फीडबैक देना
7. परियोजना का सम्पन्न होना और आईडीएफ–ओआई द्वारा अंशदाता को उपयोगिता रिपोर्ट देना।

अनुवीक्षण तंत्र

परियोजना कार्यान्वयन के दौरान और उसके बाद अंशदाता को परियोजना की प्रगति; परियोजना के प्रभाव; वास्तविक साइट/लाभार्थियों के बारे में फोटोग्राफ/वीडियों के साथ फीडबैक के संबंध में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होंगी। वे कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से वास्तविक परियोजना व्ययों का तिमाही लेखा भी प्राप्त करेंगे ताकि परियोजना लक्ष्यों का कार्यक्रम, प्रारंभिक बजट प्राक्कलनों की तुलना में वास्तविक लागत, और आईडीएफ–ओआई अनुदानशर्तों को पूरा किया जाना सुनिश्चित हो सके।

कार्यान्वयनकर्ता एजेंसी दानकर्ताओं को समय पर फीडबैक देगी। परियोजना कार्यान्वयन रिपोर्टें भी आईडीएफ–ओआई के पोर्टल पर डाली जाएंगी। परियोजना के परिणामस्वरूप हुए असर या इंटरवेन्शन के साथ इन रिपोर्टों में राज्य सरकार या कार्यान्वयकर्ता एजेंसी के संपर्क–विवरण भी होंगे जिससे कि दानकर्ता यदि चाहें तो उनसे सीधे संपर्क कर सकें।

आईडीएफ–ओआई द्वारा पेश की जा रही परियोजनाएं

आईडीएफ–ओआई ने भारत सरकार के फ्लैगषिप कार्यक्रम – स्वच्छ भारत मिशन और नमामी गंगे की सरकार के साथ भागीदारी की है।

भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम

सर्वत्र स्वच्छता कवरेज हासिल करने के प्रयासों में तेजी लाने और 2 अक्तूबर, 2019 तक खुले में षौच करने की प्रथा समाप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए भारत के प्रधान मंत्री ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का षुभारंभ किया। आईडीएफ–ओआई राजस्थान, जम्मू एवं कष्मीर, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखंड, और पष्चिम बंगाल में सामुदायिक षौचालयों के निर्माण और ठोस अपशिश्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं की पेशकष कर रहा है।

राश्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का उद्‌देष्य अपशिश्ट–जल प्रबंधन, ठोस अपशिश्ट प्रबंधन, औद्योगिक प्रदूषण, और नदी मुख विकास नामक चार भिन्न–भिन्न सेक्टरों के माध्यम से गंगा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का निराकरण करने के लिए एक परिवर्तित एवं व्यापक दृश्टिकोण के साथ गंगा नदी का कायाकल्प करना है।

स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे ने भारतीय डायस्पोरा के बीच गहरा भावनात्मक बंधन कायम किया है जिन्होंने परोपकारी अंशदानों के माध्यम से इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने में गहरी रुचि दिखाई है।

भारत में अपने मूल स्थान के प्रति प्रवासी भारतीयों के भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करते हुए आईडीएफ–ओआई ने राज्य सरकारों के साथ भागीदारी की है ताकि उनके द्वारा अभिचिह्‌नित परियोजनाएं प्रवासी भारतीयों को पेश की जा सकें। फिलहाल, 17 राज्य आईडीएफ–ओआई के साथ काम कर रहे हैं और महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण, दीर्घस्थायी आजीविका, शिक्षा, स्वच्छता, और हैल्थकेयर जैसे क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए प्रवासी भारतीयों की सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हैं। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एवं कश्मीर, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और महाराष्ट्र में निधीयन के लिए परियोजनाएं उपलब्ध हैं।

परियोजनाओं की सूची अनुबंध। पर है।

प्रवासी भारतीय एक व्यक्ति के रूप में, या व्यक्तियों के समूह के रूप में या यहां तक कि अपने संबंधित भारतीय एसोशिएसनों के माध्यम से आईडीएफ–ओआई के खाते में अंशदान कर सकते हैं।

बैंक विवरण:
प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठान
भारतीय स्टेट बैंक
केन्द्रीय सचिवालय शाखा
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110001
खाता सं. 33819721882
आईएफएससी कोड एसबीआईएन0000625
एमआईसीआर 110002014

आईडीएफ–ओओआई के माध्यम से प्राप्त हाल के अंशदान

भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों, स्वच्छ भारत मिशन और नमामि गंगे को प्रवासी भारतीयों से उत्साहजनक रिस्पांस मिला है जिन्होंने 2015–16 में इन परियोजनाओं के लिए 98 लाख रु का अंशदान किया है। आईडीएफ–ओओआई चैम्पियनों में यू.ए.ई. में बसे अनिवासी भारतीय श्री युसुफ अली एम.ए. शामिल हैं जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए 72 लाख रु का अंशदान किया। हांगकांग आधारित श्री रमाकांत अग्रवाल और सिंगापुर आधारित श्री शषि रघुनंदन ने नमामि गंगे के लिए क्रमशः 25 लाख रु और 1 लाख रु का अंशदान किया है।

"मेरा मानना है कि आईडीएफ–ओआई की स्थापना करना सरकार की सर्वश्रेष्ठ पहल में से एक है। मेरी राय में, यह हमारे समुदाय के विकास के लिए निहायत ही जरूरी निधियों को जुटाने तथा बड़े भारतीय डायस्पोरा को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया से जोड़ने के दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करता है। यह निश्चित तौर पर हम सभी को भारत और इसके भविष्य के प्रति गर्व का अनुभव कराता है।"

–श्री युसुफ अली एम.ए.
यूएई

श्री युसुफ अली के अंशदानों का उपयोग सिक्किम में एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर, अमृतसर, पंजाब में एक सार्वजनिक शौचालय, और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा एवं तिरुपति में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में किया जा रहा है।

"भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने, जिन्हें आधुनिक भगीरथ के रूप में माना जाता है, पवित्र नदी की जलराशि को साफ करने और इसके स्वास्थ्यकर महत्व को पुनःस्थापित करने, यदि "मां गंगा का नव–निर्माण" कहा जाए तो अधिक उपयुक्त होगा, का उतना ही अभूतपूर्व कार्य अपने हाथों में लिया है। उनकी दृष्टि और सम्पूर्ण परियोजना के पैमाने ने न केवल वैश्विक भारतीय डायस्पोरा की बल्कि सम्पूर्ण मानव पीढ़ी की ओर आने वाले पीढ़ियों की कल्पना को मोहित कर दिया है।"

"हम श्री नरेन्द्र मोदी जी के नमामि गंगे मिशन का श्तन मन धनश्से समर्थन करते हैं।"

–श्री रमाकांत अग्रवाल
हांगकांग

आईडीएफ–ओआई द्वारा वित्त–पोषित परियोजनाएं

2011–2014 तक आईडीएफ–ओआई ने असम, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में सामाजिक एवं विकासपरक परियोजनाओं के लिए प्रवासी भारतीयों से अंशदानों को सुलभ कराया है। आईडीएफ–ओआई को जल संरक्षण, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, निःशक्त बच्चों को शिक्षित करने एवं मुख्यधारा में लाने, महिला शिक्षा और दीर्घस्थायी आजीविका में परियोजनाओं के लिए 36 लाख रु प्राप्त किए।

शकरपुर ग्राम, गुजरात में श्री स्वामीनारायण हाइ स्कूल में स्थापित कम्प्यूटर लैब एवं केमिस्ट्री लैब

मिसेज हेलेना कौशिक वीमेन्स कॉलेज की प्रशासनिक लागत के लिए उनके मूल गांव, मालसीसर, राजस्थान में एनआरआई ने समर्थन किया।

ऐसे गांवों जिनमें स्वच्छ जल पर्याप्त रूप से सुलभ नहीं है की सहायता करने के लिए राजस्थान में रैला गांव में विशेष रूप से विकसित की जा रही रेनवाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली

डायस्पोरा के साथ संबंध कायम करना

आईडीएफ–ओआई ने अबुधाबी में भारत के दूतावास, दुबई में भारत के महा वाणिज्य दूतावास और भारतीय एसोशिसन के समन्वय में यू.ए.ई. में 15–16 अक्तूबर 2015 तक आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया। अबुधाबी, शरजाह और दुबई में भारतीय एसोशिएसनों को आईडीएफ–ओआई की परियोजनाओं, परियोजनाओं के अनुवीक्षण की रीतियों, रिपोर्टिंग तंत्रों दानकर्ताओं को फीडबैक के बारे में बताते हुए, भारत में सामाजिक एवं विकासपरक परियोजनाओं के साथ परोपकार के कार्य में जुड़ने के लिए उन्हें आमंत्रित करते हुए आईडीएफ–ओआई के बारे में प्रस्तुतीकरण दिए गए।

डायस्पोरा के साथ ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से संबंध कायम करना

भारतीय डायस्पोरा, विशेषकर युवा ओवरसीज भारतीयों के साथ वैष्विक स्तर पर जुड़ने के लिए आईडीएफ–ओआई ने 2016 और 2015 में क्रमशः ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से आउटरीच की शुरुआत की। आईडीएफ–ओआई के लिए फेसबुक पहचान www.facebook.com/idfoi और ट्विटर हैंडल /GivingtoIndia है। सोशल मीडिया संगठन की गतिविधियों और प्रभाव के बारे में प्रवासी भारतीयों के अपेक्षाकृत अधिक बड़े ग्रुप को सूचित करने का एक शानदार मौका प्रदान करता है। आईडीएफ–ओआई की सोशल मीडिया उपस्थिति से संगठन की जानकारी लोगों तक पहुंचाने और प्रवासी भारतीय समुदाय से ऑनलाइन कनेक्ट करने में मदद मिली है। निधीयन के लिए उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं, भारतीय डायस्पोरा परोपकारिता में सर्वश्रेष्ठ परिपाटियों तथा अन्य आउटरीच गतिविधियों के बारे में नियमित रूप से अपडेट्स पोस्ट किए जाते हैं।

वेबसाइट पुनर्अभिकल्पना एवं विकास

आईडीएफ–ओआई की वेबसाइट 2015 में पूरी तरह पुनर्अभिकल्पित और पुनर्संरचित की गई ताकि संशोधित अधिदेश प्रतिबिंबित हो सके और ऐसी परियोजनाओं जिन्हें वित्त–पोषित किया जा सकता है, वित्त–पोषण की रीतियां, रिपोर्टिंग, अनुवीक्षण तंत्र आदि के बारे में सूचना का प्रचार–प्रसार किया जा सके। पुरर्संरचित वेबसाइट में इकाई लागत, लोकेशन, लक्षित लाभार्थियों, बजट परिव्यय आदि जैसी विनिर्दिष्ट सूचना के साथ क्षेत्र एवं राज्य के अनुसार उपलब्ध परियोजनाओं की विस्तृत सूची शामिल है। वेबसाइट उन प्रवासी भारतीयों विवरण भी दिखाता है जो भारत को वापस दे रहे हैं; इसमें आईडीएफ–ओआई द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के बारे में समाचार भी दर्शाए जाते हैं। यह साइट ीजजचेरूध्ध्पकविपण्दपबण्पद पर देखी जा सकती है।

प्रवासी भारतीय दिवस 2016

'प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठानः भारत के सामाजिक एवं विकासपरक प्रयत्नों में डायस्पोरा का योगदान'

27 फरवरी 2016 को नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय दिवस 2016, पैनल विमर्श–I में माननीय विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज और विदेश राज्य मंत्री, जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) प्रतिभागियों के साथ।

09 जनवरी 2016 को प्रवासी भारतीय दिवस के फार्मेट में संशोधन किए जाने के उपरांत प्रवासी भारतीय दिवस 2016 का पहला पैनल विमर्श नई दिल्ली में 27 फरवरी 2016 को आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता माननीय विदेश मंत्री, श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा की गई। पैनल ने विषय – 'प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठानः भारत के सामाजिक एवं विकासपरक प्रयासों में डायस्पोरा का योगदान' पर विचार–विमर्ष किया।

पैनल ने इस बात पर चर्चा की आईडीएफ–ओआई ने भारत के सामाजिक एवं विकासपरक प्रयासों में किस प्रकार योगदान किया है। प्रतिभागियों ने प्रवासी भारतीयों द्वारा निधीयन के लिए कई परियोजनाओं को इकट्ठा करने में राज्यों तक आईडीएफ–ओआई के आउटरीच को सराहा। उन्होंने इस बात पर बहुमूल्य इनपुट्स एवं सुझाव दिए कि आईडीएफ–ओआई किस प्रकार प्रवासी भारतीयों के बीच अपनी मौजूदगी को सुदृढ़ एवं रेखांकित कर सकता है। पैनल ने आईडीएफ–ओआई को –भारत में परोपकारिता के लिए वन स्टॉप षॉप' बनाने के लिए विष्वसनीयता यानि जवाबदेही, कार्यकुशलता, एवं पारदर्शिता की जरूरत को उजागर किया।

लेखा–परीक्षित वित्तीय विवरण
वित्तीय वर्ष 2015–16

India Development Foundation of Overseas Indians
1005, 10th Floor, Akbar Bhawan
Chanakya Puri, New Delhi -110021
Balance Sheet as at 31-Mar-2016

	Particulars	Note No.		as at 31-Mar-2016	
I.	**SOURCES OF FUNDS**				
1	**Corpus Fund**			-	-
2	**Grants & Foreign Contributions**				
	General Grants	1		3,776,101.55	
	Foreign Contributions	2		9,852,048.17	13,628,149.72
4	**Long Term Borrowings**				
	Advance received-ICOE			482,666.00	482,666.00
3	**Current Liabilities**				
	(a) Other Current Liabilities	3		14,331.00	
	(b) Security Deposit			5,000.00	19,331.00
	Total				**14,130,146.72**
II.	**Application of Funds**				
1	**Non-Current Assets**				
	(a) Fixed Assets	4		1,162,915.35	1,162,915.35
	As per List Attached				
2	**Current Assets**				
	(b) Advance To BECIL			432,117.00	
	(a) Cash and Cash Equivalents	5		12,535,114.37	12,967,231.37
	Total				**14,130,146.72**

Auditor's Report (as per our records of even date)
For Antima & Goel
Chartered Accountants

ANTIMA & GOEL NEW DELHI CHARTERED ACCOUNTANTS

N.K Jindal
(Partner)
FCA, M.NO. 91028
FRN No.:009062N
Place:New Delhi
Date: 16-05-2016

For India Development Foundation of Overseas Indians

Ms. Vani Rao
(Chief Executive Officer)
Chief Executive Officer
India Development Foundation
of Overseas Indians, New Delhi

आईडीएफ–ओआई के माध्यम से निधीयन के लिए उपलब्ध परियोजनाएं

स्वच्छता

राज्य	परियोजना का नाम
बिहार	मिशन मर्यादा – 'निर्मल ग्राम पुरस्कार' से पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को ओडीएफ हैसियत पुनः प्राप्त करने में उत्प्रेरित करना
छत्तीसगढ़	स्वच्छ छत्तीसगढ़ स्वस्थ छत्तीसगढ़ – राज्य में अप्रचलित शौचालयों को फिर से शुरू करना
कर्नाटक	ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
महाराष्ट्र	बीड़, नांदेड़ एवं चंद्रपुर जिलों में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करके अप्रचलित शौचालयों की मरम्मत करके स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना
मिजोरम	चम्पई, कोलासिब, लांग्तलाई, लुंगलेई, मामित, सैहा और सर्छिप्प में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
उड़ीसा	पूर्ण स्वच्छता हासिल करने के लिए अंगुल, गजपति, और देवगढ़ जिलों को अतिरिक्त समर्थन

राज्य	परियोजना का नाम
राजस्थान	ग्राम पंचायत फोगेड़ा, बाड़मेर जिला में अलग–अलग हाउसहोल्ड शौचालयों (आईएचएचएल) का निर्माण करना
	झालावाड़ जिले में खुला शौच मुक्त (ओडीएफ) दर्जा हासिल करने के लिए शौचालयों का निर्माण करना
	त्रिनेत्र गणेश मंदिर के निकट रणथंबौर किले में बायो–डायजेस्टर शौचालयों का निर्माण करना
	पूरे राज्य में 187 शहरों और नगरों में अलग–अलग हाउसहोल्ड शौचालयों का निर्माण करना
	सरमथुरा, धोलपुर जिला में ड्राय इन्सैनिट्री शौचालयों को सैनिट्री शौचालयों में रूपांतरित करना
सिक्किम	राज्य भर में 200 एकीकृत सैनिट्री परिसर
	ईस्ट डिकचु, ईस्ट पकयोंग, नार्थ फेन्सांग–फोडोंग, नार्थ चुंगथांग, साउथ दामथांग, साउथ मेल्ली, साउथ नामथांग, साउथ मेल्ली, साउथ नामथांग, साउथ रावंगला, साउथ तेमी. तरकु, वेस्ट डरमडिन् सोम्बरिया, वेस्ट डेन्टाम, वेस्ट ही बर्मियोक, वेस्ट कालुक. रिनचेंगपोंग, वेस्ट लेगशिप, वेस्ट पेल्लिंग, वेस्ट रेशी, वेस्ट सोरेंग, वेस्ट ताशिडिंग और वेस्ट लेगशिप में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
	ईस्ट रेनोक में सैनिटेशन एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
	'अमर शौचागार' : सुंदरबन द्वीपसमूह में सामुदायिक शौचालय
उत्तराखंड	13 जिलों में अप्रचलित आईएचएचएलएस का पुनर्निर्माण करना
पश्चिम बंगाल	'अमर शौचागार' : सुंदरबन द्वीपसमूह में सामुदायिक शौचालय
	कूच बिहार जिले में सामुदायिक शौचालय ब्लॉक/सैनिटरी परिसर की मरम्मत करना
	मेदिनीपुर जिले में शौचालयों और सामुदायिक सैनिटरी काम्प्लेक्स का निर्माण करना और उन्हें बेहतर बनाना
	मालदा जिले में अप्रचलित शौचालयों के पुनर्निर्माण और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के द्वारा टिकाऊपन हेतु ओडीएफ–उत्तर प्रोग्राम
	बिरभूम जिले में अप्रचलित/अविद्यमान आईएचएचएल का पुनर्निर्माण करना
	बिरभूम जिले के अंतर्गत ओडीएफ हैसियत हासिल करने के लिए आईएचएचएल और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण करना

महिला एवं बाल विकास

राज्य	परियोजना का नाम
मध्य प्रदेश	सिहोर जिले में 270 आंगनवाड़ी केन्द्रों का स्तरोन्नयन
मिजोरम	आइजोल और चम्पई जिलों में पशुपालन और मधुमक्खी पालन में कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण
	एसएचजी के गठन और कार्यकलापों के माध्यम से खावजोल ब्लॉक, चम्पई जिले में महिलाओं की आमदनी बढ़ाना
	आइजोल और चम्पई जिले में एचआईवी/एड्स और ड्रग के दुरुपयोग से प्रभावित महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण

शिक्षा

राज्य	परियोजना का नाम
पंजाब	राज्य भर में सरकारी प्राथमिक, मिड्डल एवं सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं एवं सुरक्षित पेयजल सुविधाओं का निर्माण करना
छत्तीसगढ़	राज्य भर में 'सी' एवं 'डी' ग्रेड स्कूलों के स्तरोन्नयन के द्वारा 'डा. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान' के कार्यान्वयन में सहयोग देना।
राजस्थान	33 जिलों में सरकारी प्राइमरी एवं अपर प्राइमरी स्कूलों में पेय जल, बिजली एवं चारदीवारी की सुविधा मुहैया करना।

शिक्षा

राज्य	परियोजना का नाम
त्रिपुरा	20 स्कूलों में डाइनिंग हॉल का निर्माण करने के लिए अवसंरचनात्मक विकास
	40 स्कूलों में चारदीवारियों, फर्नीचर के लिए अवसंरचनात्मक विकास और प्रयोगशाला भवन का निर्माण करना
	100 स्कूलों में प्रयोगशाला उपस्कर मुहैया करने के लिए अवसंरचनात्मक विकास
सिक्किम	नार्थ सिक्किम में तिबुक जूनियर हाइ स्कूल और नागा जूनियर हाइ स्कूल में छह कमरों के स्कूल बिल्डिंग का निर्माण करना
	ईस्ट सिक्किम में पांग्थांग जूनियर हाइ स्कूल में छह कमरों के स्कूल बिल्डिंग का निर्माण करना
	जोरेथांग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बारह कमरों के स्कूल बिल्डिंग का निर्माण करना और कक्षाओं के फ्लोर की मरम्मत करना
	साउथ सिक्किम में जोरेथांग जूनियर हाइ स्कूल में ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण करना
	वेस्ट सिक्किम में कामलिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑडिटोरियम हॉल, कम्पोजिट साइंस लैब, और दोपहर भोजन के लिए डाइनिंग शेड का निर्माण करना

राज्य	परियोजना का नाम
	वेस्ट सिक्किम में सोम्बरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लड़कों के छात्रावास का निर्माण करना
	वेस्ट सिक्किम में रेशी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑडिटोरियम हॉल, कम्पाउंड फेन्सिंग का निर्माण करना और सुरक्षित पेय जल, प्रवेश गेट एवं स्ट्रीट लाइट विद्युतीकरण की व्यवस्था करना, न्यू स्कूल बिल्डिंग में कार्पेटिंग कार्य, तथा विज्ञान एवं गणित उपस्कर की आपूर्ति करना।
	नार्थ सिक्किम में मानगन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूदा प्ले ग्राउंड में गैलरी का निर्माण करना और विज्ञान लैब के लिए प्रयोगशाला उपस्करों का प्रापण करना।
	ईस्ट सिक्किम में रांका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एमपीएच और दस स्कूल बिल्डिंग का निर्माण करना
	साउथ सिक्किम में राटएपानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मौजूदा प्ले फील्ड के लिए विज्ञान लैब, गैलरी का निर्माण करना।
	सिक्किम में विभिन्न सरकारी विद्यालयों के गर्म हिस्सों में पंखे की व्यवस्था करना
मिजोरम	राज्य भर में प्राथमिक स्कूल बिल्डिंग का पुनर्निर्माण करना

हैल्थकेयर

राज्य	परियोजना का नाम
छत्तीसगढ़	समूचे राज्य में सेवा प्रदान करने वाला ऑनलाइन न्यूट्रीशन काउंसलिंग सेंटर (ओएनसीसी)
राजस्थान	जयपुर में कैंसर केयर संस्थानों तथा झालावाड़ एवं बिकानेर में तृतीयक केयर कैंसर सेंटर की स्थापना करना
	7 जिलों में 250–300 बेड की क्षमता वाले सरकारी अस्पताल के साथ नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना
	20 जिलों में बीमार बच्चों की मदद करने के लिए ट्रांसपोर्ट एवं तृतीयक सहायक प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके)
मिजोरम	पुकपुरी एवं लुगलेई जिलों में प्रेक्षण गृह/विशेष होम कॉम्प्लेक्स का निर्माण करना।

दीर्घस्थायी आजीविका

राज्य	परियोजना का नाम
बिहार	बिहार के 11 नगरों में शहरी निर्धन महिला समूहों के बीच आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना
मिजोरम	कोलासिब जिले के स्वयं–सहायता समूहों के लिए पशुधन उत्पादन के माध्यम से आजीविका के अवसर बढ़ाना
	राबुंग ग्राम, चम्पई जिले में पशुधन प्रवर्धन फार्म की स्थापना करना

संक्षिप्तियों की सूची

आईडीएफ–ओआई : प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठान
एनआरआई : अनिवासी भारतीय
पीआईओ : भारतीय मूल के व्यक्ति
एसबीएम : स्वच्छ भारत मिशन
पीबीडी : प्रवासी भारतीय दिवस
आईएचएचएल : व्यक्तिपरक घर–परिवार शौचालय

PARTNER SUPPORT PROMOTE CHANGE

IDF
India Development Foundation of Overseas Indians

प्रवासी भारतीयों का भारत विकास प्रतिष्ठान
(भारत सरकार के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट)
कमरा नंबर 1005, विदेश मंत्रालय, अकबर भवन
सत्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 110021

Contact: CEO | Tel: +91 11 26881052/24676210 | Fax: +91 11 26882431 | Email: ceo.idf@mea.gov.in